राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3974 / 2025

1. हनुमान प्रसाद
2. मोती राम
3. राजेश कुमार मीणा
4. पूरण मल मीणा
5. दीनदयाल मीणा
6. कृष्ण कुमार मीणा
7. ऑमप्रकाश मीणा
8. रमेश चंद मीणा
9. संदीप मीणा
10. लेखराज मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

सचिव (गृह), गृह मंत्रालय, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.08.2025
सुनवाई की दिनांक : 06.10.2025
आदेश की दिनांक :
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस. राघव, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता
समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थीगण की सेवाएं राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के प्रावधानों द्वारा शासित होती हैं, क्योंकि अपीलार्थीगण को 2013 में कांस्टेबल (आरएसी) के पद पर नियमों के तहत नियुक्त किया गया था। राज्य सरकार ने बजट 2012–13 में जेलों में सुरक्षा प्रदान करने तथा प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए एक आरएसी बटालियन की स्थापना हेतु मंजूरी दी है। गृह विभाग ने अपने आदेश दिनांक 16.07.2012 द्वारा 13वीं बटालियन आरएसी (जेल सुरक्षा) का गठन किया और अपने स्थायी आदेश संख्या 02 / 2015 द्वारा कार्यात्मक निर्देश भी तैयार किए। (अनुलग्नक–2) जिसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, प्लाटून कमांडर इत्यादि के पद के लिए कैडर क्षमता के साथ–साथ` उद्देश्य और कार्यात्मकता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। विभाग ने कांस्टेबल के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए, जो कि 2012 के विज्ञापन में सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत भरे गए हैं, सभी मामलों में पात्र होने के कारण अपीलार्थीगण ने 2012 में कांस्टेबल के पद के लिए अपने आवेदन प्रस्तुत किए। पात्रता पर विचार करने के बाद, विभाग ने एक प्रवेश पत्र

जारी किया और उसके बाद अपीलार्थीगण को विज्ञापन के अनुसरण में चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया। अपीलार्थीगण को सभी चरणों की परीक्षा में योग्य पाया गया और उसके बाद प्रत्यर्थी विभाग ने एक अंतिम चयन सूची प्रकाशित की। अंतिम चयन सूची में अपीलार्थीगण का नाम शामिल किया। प्रकाशित चयन सूची के अनुसरण में, अपीलार्थीगण को नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया गया और 13वीं बटालियन आरएसी (जेल सुरक्षा) में योग्यता के अनुसार पदस्थापन आदेश जारी किया गया। नियुक्ति प्रस्ताव में पुलिस सत्यापन प्रस्तुत करने की शर्त का उल्लेख किया गया था। तत्पश्चात, चयन सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण आदेश जारी किया जाएगा। अपीलार्थीगण को चयन सूची में स्थान मिला और उसके बाद उन्हें कार्यभार ग्रहण आदेश जारी किया गया। नियुक्ति प्रस्ताव के अनुसरण में अपीलार्थीगण को जुलाई, 2013 को जयपुर में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए थे तथा ज्ञापन में निहित नियुक्ति के संबंध में सेवा की शर्तों के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए थे, जबकि नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी राजस्थान में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन उनका 13 बटालियन आरएसी (जेल सुरक्षा) में ग्रहणाधिकार (लियन) है। जुलाई, 2013 में कांस्टेबल के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद, अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी विभाग को बेदाग सेवाएं प्रदान की। प्रशिक्षण के बाद अपीलार्थीगण 13वीं बटालियन आरएसी की मूल संख्या में बन गए, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के लिए उनमें से कुछ अन्य आरएसी बटालियन से संबद्ध हो गए, लेकिन उनका ग्रहणाधिकार मूल बटालियन (13वीं बटालियन, आरएसी) में है। विभाग ने बटालियन आधार पर वरिष्ठता सूची बनाए रखी और उसी के अनुसार पदोन्नति दी गई। अपीलार्थीगण की सेवाएँ नियम 1989 द्वारा शासित हैं। (अनुलग्नक–4) परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद अपीलार्थीगण की रैंक पक्की कर दी गई और कांस्टेबल का अगला उच्च पदोन्नति वाला पद हेड कांस्टेबल है, जिसे भारत के संविधान के नियम 309 के तहत जारी राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के अनुसार कांस्टेबलों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाना है। कांस्टेबल (आरएसी) के पद पर काम करने वाले अपीलार्थी ने फील्ड वर्क का अनुभव प्राप्त किया है और वे हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं। 13वीं बटालियन आरएसी का गठन/संगठन राज्य की जेलों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। पदोन्नति के पदानुक्रम में निर्धारित पद कांस्टेबल (100 प्रतिशत सीधी भर्ती) और फिर हेड कांस्टेबल (100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा) हैं। कार्य व्यवस्था बनाने के लिए, कांस्टेबल के साथ–साथ अन्य बटालियनों से कांस्टेबलों को एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया गया था और शुद्धिपत्र स्थानांतरण नीति में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि 13वीं बटालियन आरएसी में कार्यरत अन्य सभी कांस्टेबल/हेड कांस्टेबल उनकी बटालियन में उनका ग्रहणाधिकार है। इसका अर्थ यह है कि 13वीं बटालियन

आरएसी में कार्यरत कांस्टेबल/हेड कांस्टेबल की बटालियन की संख्या पर विचार नहीं कर रहे हैं और इससे कैडर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। (अनुलग्नक–5) दिनांक 09.09.2021 को प्रत्यर्थी विभाग ने 2019–2020 की रिक्ति के विरुद्ध हेड कांस्टेबल (आरएसी) के पद पर पदोन्नति के लिए आवेदन आमंत्रित किए। प्रत्यर्थी विभाग ने हेड कांस्टेबल के कुल 11 पदों का निर्धारण किया है और कुल रिक्तियों में से 4 सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए और 7 एससी वर्ग के लिए निर्धारित की गई थीं, लेकिन एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोई नहीं थी। बटालियन में कार्यव्यवस्थ आधार पर अन्य बटालियन से काम करने वाले कांस्टेबल/हेड कांस्टेबल को इस बटालियन की सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उनका ग्रहणाधिकार उनके मूल बटालियन में ही रहेगा। (अनुलग्नक–6) प्रत्यर्थी विभाग ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए एक भी रिक्ति निर्धारित नहीं की है और वर्ष 2019–20 के लिए विज्ञापन जारी करके सामान्य और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को तदनुसार पदोन्नति प्रदान करने की गई है। (अनुलग्नक–7) दिनांक 09.09.2021 के विज्ञापन/अधिसूचना के अनुसरण में आवेदन आमंत्रित करते समय उन्होंने रिक्तियों का उचित निर्धारण नहीं किया है, उपरोक्त संलग्न अनुलग्नक से पता चलता है कि हेड कांस्टेबल संवर्ग की कुल संख्या 157 है, लेकिन उन्होंने नियम 1989 के नियम 10 (1) और (2) के अनुसार रिक्तियों का निर्धारण नहीं किया है। डीओपी का परिपत्र दिनांक 04.06.2008 जो नियमित डीपीसी बैठकों के लिए निर्धारित है, इसके खंड 7.5 के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत में रिक्तियों के निर्धारण का प्रावधान किया गया था। धारा 7.5 में निर्दिष्ट किया गया है कि एक पूर्ण वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को उक्त वर्ष की रिक्तियों में शामिल किया जा सकता है। तदनुसार, विभाग द्वारा 2019–20 के लिए हेड कांस्टेबल के 157 के स्थान पर 11 रिक्तियों का निर्धारण बिना किसी पूर्व सूचना के आधार पर किया गया। जब भी किसी विशेष वर्ष में, पदोन्नति पदों को भरने के लिए आवश्यक संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो रिक्त पदों को अगले वर्ष के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है। 13 बटालियन आरएसी के गठन के बाद, 2012 से विभाग ने कोई पदोन्नति परीक्षा आयोजित नहीं की है और कांस्टेबल तब से उसी पद पर कार्यरत हैं, जबकि वे 2017 से पात्र हो गए हैं। लेकिन जब 2019 में रिक्तियाँ आमंत्रित की गईं, तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एक भी पद/रिक्त स्थान निर्धारित नहीं किया गया, जो अवैध है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जवे कि दिनांक 30.07.2025 की अधिसूचना/विज्ञापन को अपास्त कर दिया जावे और हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए 2020–21 की रिक्तियों में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियां आवंटित न करने की सीमा तक अपास्त कर दिया जावे। इसके अलावा, रोस्टर के अनुसार हेड कांस्टेबल के पद पर 146 रिक्तियों को

अतिरिक्त रूप से 2020–21 की रिक्तियों में आवंटित करने और तदनुसार पदोन्नति परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया जावे। साथ ही प्रत्यर्थी विभाग को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 की आवश्यकता के आलोक में आरक्षित वर्ग (एसटी वर्ग) की रिक्तियों के निर्धारण की समीक्षा करने के लिए निर्देशित किया जावे एवं अपीलार्थीगण को सभी परिणामी लाभों और अनुतोष के साथ उनकी वरिष्ठता के आलोक में 2020–21 की रिक्तियों के विरुद्ध हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थीगण की सेवाएं राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के प्रावधानों के तहत है। राज्य सरकार द्वारा जेल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बजट 2012–13 के तहत पृथक से 13वीं आरएसी बटालियन का गठन किया था। विभाग द्वारा कॉनस्टेबल, हैड कॉनस्टेबल, प्लाटून कमांडर आदि के पदों का सृजन करने के उपरांत उक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भकी गई, जिसके परिणामस्वरुप कुल 907 पदों पर कार्मिकों की भर्ती की गई। विभाग द्वारा योग्य कॉनस्टेबलों की सूची प्रकाशित करवाई गई एवं नियुक्ति पत्र जारी किये गये। अपीलार्थीगण को कॉनस्टेबल के पद पर 13वीं बटालियन में जुलाई 2013 में नियुक्ति दी गई। 13वीं बटालियन, आरएसी (जेल सुरक्षा) में भर्तीशुदा कानिस्टेबलों अन्य बटालियन से लियन पर आए कार्मिको का पदस्थापन 13वीं बटालियन में किया गया था, उसके उपरांत समस्त कार्मिको का वेतन आहरण 13वीं बटालियन से ही किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने पर मूल रैंक पर स्थाईकरण किया गया है और कॉन्स्टेबल का अगला पदोन्नति पद हैडकानि है, जो राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के अनुसार 100 प्रतिशत पदौन्नत (50 प्रतिशत स्क्रीनिंग एवं 50 प्रतिशत योग्यात्मक परीक्षा) से भरे जाते है। स्क्रीनिंग पद्धति के अनुसार वरिष्ठता सूची के क्रमानुसार 18 वर्ष की अर्हता सेवा पूर्ण करने वाले कानि. पात्र होंगे एवं योग्यात्मक परीक्षा हेतु कॉन्स्टेबल पद पर निरन्तर 5 वर्ष की सेवा अथवा कॉन्स्टेबल पद पर निरन्तर 3 वर्ष की सेवा यदि स्नातक हो आवश्यक होगी। उक्त योग्यता कानि, द्वारा उस वर्ष की 01 अप्रेल को पूर्ण करनी होगी, जिस वर्ष पदौन्नति आयोजित की जानी है। इस बटालियन से भर्तीशुदा नवनियुक्त कानि. तत्समय पदोन्नति हेतु पात्र नहीं होने के कारण नव गठित बटालियन की प्रशासनिक व्यवस्थाओं एवं कंपनियों के गठन संचालन हेतु अन्य बटालियन से हैडकानि. का स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया था। तदुपरान्त कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 721 दिनांक 15.09.2022 के द्वारा निर्देशित किया गया कि आरपीएसएसआर नियम 1989 स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाकर लियन मूल बटालियन में रखे जाने का कोई प्रावधान नहीं है, इस प्रकार अन्य बटालियन से स्थानान्तरण/पदस्थापित कार्मिको का

लियन मूल बटालियन में नहीं माना जाकर इसे नियमित स्थानान्तरण माना जाना चाहिये। अन्य बटालियन से स्थानान्तरण/पदस्थापन पर आये हैडकानि. को नियमित मानते हुये वर्ष 2019–20 की पदोन्नति परीक्षाओं का आयोजन करवाये जाने के आदेश प्राप्त होने पर वर्ष 2019–20 की पदोन्नति परीक्षा का आयोजन करवाया गया, जिसमें 13वीं बटालियन आरएसी (जेल सुरक्षा) के भर्तीशुदा कानिस्टेबलों को ही सम्मिलित किया गया है। (अनुलग्नक आर–1) अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर्म्ड बटालियन्स, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय के पत्रांक 1559 दिनांक 12.05.2022 द्वारा भी अन्य बटालियन से आये हैडकानि. को स्थाई मानते हुये उनकी मूल बटालियन में रिक्त हुये पदों के अनुसार रिक्तियों की गणना कर रिक्त पदों को भरा जा चुका है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 7.5.7 में स्पष्ट उल्लेख है कि ''एक वर्ष से अधिक की अवधि के अवकाश अथवा प्रतिनियुक्ति पद यदि कोई राजसेवक है, तो इस प्रकार की रिक्तियां भी पदोन्नति के लिए गणना योग्य हैं। उक्त आदेश के अनुसरण में अन्य बटालियन से इस बटालियन में आये हैडकानि. के कारण उनकी मुल बटालियन में रिक्त हुय पदों का आगामी वर्षों की पदोन्नति में शुभार करते हुये भरा जा चुका है। इसलिये वर्ष 2019–20 की रिक्तियों की गणना करते समय अन्य बटालियन के 139 हैडकानि. का उपरोक्त आधार से स्थाई मानते हुये गणना की गई है। (अनुलग्नक आर–2) 13वीं बटालियन, आरएसी (जेल सुरक्षा) में वर्ष 2019–20 की रिक्तियों का निर्धारण अन्य बटालियन से आये हैडकानि. को स्थाई मानते हुये गणना की गई, दिनांकः 01.04.2019 को रोस्टर के अनुसार कुल रिक्त पद 04 थे, पदोन्नति प्रक्रिया करते समय सामान्य वर्ग के 07 पद ओर रिक्त हो गये। इस प्रकार सामान्य वर्ग के कुल 11 पद रिक्त हुये पदों में से एसटी वर्ग के 07 अधिक पदों का समायोजन करने के बाद सामान्य वर्ग में 04 पद रिक्त रह गये, इस प्रकार कुल 11 रिक्तियों (04 सामान्य एवं 07 एससी) पर पदौन्नति करवाई गई जैसा शिड्यूल–ए में दर्शाया गया है। एसटी (ST) वर्ग में रिक्त पद नहीं होने के कारण एसटी वर्ग की पदोन्नति नहीं करवाई गई। श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर्ड बटालियन्स, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय पत्रांकः 1559 दिनांक 12.05.2022 के द्वारा भी अन्य बटालियन से आये हैडकानि. को स्थाई मानते हुये उनकी मूल बटालियन में रिक्त हुये पदों के अनुसार रिक्तियों की गणना कर रिक्त पदों को भरा जा चुका है। 13वीं बटालियन में वर्ष 2019–20 में हैडकानि. के कुल 157 पदों में से जिसमें 07 पद तकनिकी हैडकानि. के पद थे तथा शेष 150 पद हैडकानि सामान्य (जनरल ड्यूटी) के थे। अपीलार्थीगण द्वारा सत्रागय उक्त पदोन्नति प्रक्रिया को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई थी। वर्ष 2019–20 की रिक्तियों का निर्धारण करते समय 139 हैडकानि. पदस्थापित थे तथा 07 हैडकानि. तकनीकी पद के थे, जिनकी वरिष्ठता का निर्धारण समस्त बटालियनों के स्तर पर

किया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त 7 पदो को अलग रखते हुए कुल 150 सामान्य पदों में से रिक्त 11 पदों पर पदौन्नति करवाई गई है। राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकः प–2(1) कार्मिक/क–2/अं.प्र./91 दिनांकः 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 7.5. 7 में स्पष्ट उल्लेख है कि ''एक वर्ष से अधिक की अवधि के अवकाश अथवा प्रतिनियुक्ति पद यदि कोई राजसेवक है, तो इस प्रकार की रिक्तियां भी पदोन्नति के लिए गणना योग्य है''। उक्त आदेश के अनुसरण में अन्य बटालियनों से 13वीं बटालियन में आये हैडकानि. के कारण उनकी मूल बटालियन में उनके पद रिक्त हो गये एवं उन रिक्त पदों को आगामी वर्षो की पदोन्नति में सुमार करते हुये भरा जा चुका है। इसलिये वर्ष 2019–20 की रिक्तियों की गणना करते समय अन्य बटालियन के 139 हैडकानि. का उपरोक्त आधार से स्थाई मानते हुये गणना की गई है। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान के पत्र दिनांक 30.05.2007 में भी स्पष्ट किया है कि जो पुलिसकर्मी प्रतिनियुक्ति पर चल रहे है उनसे हुए रिक्त पदों को सीधी भर्ती/पदोन्नति प्रक्रिया से भरा जाना उपयुक्त होगा। (अनुलग्नक आर–3 व 4) कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के पत्रांकः 721 दिनांकः 15.09.2022 के द्वारा निर्देशित किया गया कि आरपीएसएसआर 1989 में स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाकर लियन मूल बटालियन में रखे जाने का कोई प्रावधान नहीं है, इस प्रकार अन्य बटालियन से स्थानान्तरण/पदस्थापित कार्मिको का लियन मूल बटालियन में नहीं माना जाकर इस नियमित स्थानान्तरण माना जाना चाहिये। अन्य बटालियन से स्थानान्तरण/पदस्थापन पर आये हैडकानि. को नियमित मानते हुये वर्ष 2019–20 की पदोन्नति परीक्षाओं का आयोजन करवाये जाने के आदेश प्राप्त होने पर वर्ष 2019–20 की पदोन्नति परीक्षा का आयोजन करवाया गया जिसमें 13वीं बटालियन आरएसी (जेल सुरक्षा) के भर्तीशुदा कानिस्टेबलों को ही सम्मिलित किया गया है। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के पत्रांकः 3208 दिनांक 30.05.2007 में भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ''पुलिस कार्मिकों को विभिन्न विभागों/संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर भिजवाये जाने के कारण पुलिस विभाग में संबंधित कार्मिकों के रिक्त पद चल रहे है, राज्य में कानून व्यवस्था जनसंख्या की बढ़ोतरी, भौगोलिक स्थिति एवं बदलते राजनीतिक समीकरण को मध्य नजर रखते हुये प्रतिनियुक्ति से हुए रिक्त पदों का रखना उपयुक्त नहीं है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर निर्णय लिया गया है कि जिला/यूनिट में पुलिस कर्मी प्रतिनियुक्ति पर चल रहे उनसे हुए रिक्त पदों को सीधी भर्ती/पदौन्नति प्रक्रिया से भरा जाना उपयुक्त रहेगा। अतः भविष्य में सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु रिक्तियों का निर्धारण करते समय प्रतिनियुक्ति से हुए रिक्त पदों को भी संबंधित पद/वर्ग में सुमार किया जावे। उक्त के आधार पर ही वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 की रिक्तियों की गणना की गई है। श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर्ड बटालियन्स, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय पत्रांक 1559 दिनांक 12.05.

2022 द्वारा भी अन्य बटालियन से आये हैडकानि. को स्थाई मानते हुये उनकी मूल बटालियन में रिक्त हुये पदों के अनुसार रिक्तियों की गणना कर रिक्त पदों को भरा जा चुका है। वर्ष 2020–21 की हैड कॉनस्टेबल के पदों पर पदोन्नति हेतु रिक्त पद दिनांकः 01.04.2020 को रोस्टर के अनुसार कुल 14 थी। वर्ष 2020–21 की हैडकानि, के पद पर पदोन्नति के समय शिड्यूल–बी में दिये गये विवरण के अनुसार कुल रिक्त पदों की संख्या 13 (एससी–02. सामान्य–11) है। एसटी (ST) वर्ग में रिक्त पद नहीं होने के कारण एसटी वर्ग की पदोन्नतिं नहीं करवाई गई। 13वीं बटालियन के भर्तीशुदा कानि. को ही पदोन्नति के लिए सम्मलित किया गया है। (अनुलग्नक आर–5,6 व 7) 13वीं बटालियन में दिनांकः 01.04.2019 के रोस्टर के आधार पर पदों की गणना की गई थी। इस बटालियन में वर्ष 2019–20 में हैडकानि, के कुल 157 पदों में से जिसमें 07 पद तकनिकी हैडकानि. के थे तथा शेष 150 पद हैडकानि. सामान्य के थे, 13वीं बटालियन में वर्ष 2019–20 में अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के 07 हैडकानि. स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापित थे जिन्हें सामान्य वर्ग में समायोजित कर वर्ष 2019–20 में हैडकानि. सामान्य के कुल 11 (एससी वर्ग–07 व सामान्य वर्ग–04) रिक्त पदों पर पदोन्नति परीक्षा का आयोजन करवाया जाकर नियमानुसार 13वीं बटालियन के भर्तीशुदा पात्र कानि. गण को पदोन्नति प्रदान की चुकी है। इसी प्रकार दिनांकः 01.04.2020 रोस्टर के आधार पर पदों की गणना की गई थी। वर्ष 2020–21 में हैडकानि. के रिक्त पदों के निर्धारण के समय 19 पद रिक्त थे। वर्ष 2020–21 में एसटी वर्ग के 06 हैडकानि. स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापित थे जिन्हें सामान्य वर्ग में समायोजित कर वर्ष 2020–21 में हैडकानि. सामान्य के कुल 13 (एससी वर्ग–02 व सामान्य वर्ग–11) रिक्त पदों पर दिनांक 01.04.2020 को जारी वरिष्ठता सूची के आधार पर कानि. गण को नियमानुसार पदोन्नति में सम्मिलित किया जाकर पदोन्नति परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 13वीं बटालियन के भर्तीशुदा पात्र कानि. को ही सम्मलित कर हैड कानि. पदोन्नति परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकः प–2 (1) कार्मिक/क–2/अं.प्र./91 दिनांकः 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 7.5.7 में स्पष्ट उल्लेख है कि ''एक वर्ष से अधिक की अवधि के अवकाश अथवा प्रतिनियुक्ति पद यदि कोई राजसेवक है, तो इस प्रकार की रिक्तियां भी पदोन्नति के लिए गणना योग्य है'' एवं कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के पत्रांकः 3208 दिनांक 30.05.2007 में भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पुलिस कार्मिकों को विभिन्न विभागों/संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर भिजवाये जाने के कारण पुलिस विभाग में संबंधित कार्मिकों के रिक्त पद चल रहे है, राज्य में कानून व्यवस्था जनसंख्या की बढ़ोतरी, भौगोलिक स्थिति एवं बदलते राजनीतिक समीकरण को मध्य नजर रखते हुये प्रतिनिधुवित्त से हुए रिक्त पदों का रखना उपयुक्त नहीं है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर

निर्णय लिया गया है कि जिला/यूनिट में पुलिस कर्मी प्रतिनियुक्ति पर चल रहे उनसे हुए रिक्त पदों को सीधी भर्ती/पदौन्नति प्रक्रिया से भरा जाना उपयुक्त रहेगा। भविष्य में सीधी भर्ती/ पदोन्नति हेतु रिक्तियों का निर्धारण करते समय प्रतिनियुक्ति से हुए रिक्त पदों को भी संबंधित पद/ वर्ग में सुमार किया जावे। उक्त के आधार पर ही वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 की रिक्तियों की गणना की गई है। तदुपरान्त कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के पत्रांकः 721 दिनांक 15.09.2022 के द्वारा निर्देशित किया गया कि आरपीएसएसआर 1989 में स्थानान्तरण /पदस्थापन किया जाकर लियन मूल बटालियन में रखे जाने का कोई प्रावधान नहीं है, इस प्रकार अन्य बटालियन से स्थानान्तरण /पदस्थापित कार्मिको का लियन मूल बटालियन में नहीं माना जाकर इसे नियमित स्थानान्तरण माना जाना चाहिये। अन्य बटालियन से स्थानान्तरण / पदस्थापन पर आये हैडकानि. को नियमित मानते हुये वर्ष 2019–20 की पदोन्नति परीक्षाओं का आयोजन करवाये जाने के आदेश प्राप्त होने पर वर्ष 2019–20 की पदोन्नति परीक्षा का आयोजन करवाया गया जिसमें 13वीं बटालियन आरएसी (जेल सुरक्षा) के भर्तीशुदा कानिस्टेबलों को ही सम्मिलित किया गया है। श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर्ल्ड बटालियन्स, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय पत्रांकः 1559 दिनांकः 12.05.2022 द्वारा भी अन्य बटालियन से आये हैडकानि. को स्थाई मानते हुये उनकी मूल बटालियन में रिक्त हुये पदों के अनुसार रिक्तियों की गणना कर रिक्त पदों को भरा जा चुका है। आरएसी में हैडकानि. का पद एक महत्त्वपूर्ण संयोजक कड़ी है एवं बटालियन संचालन की अहम भूमिका में होते है इसलिये इस बटालियन में हैडकानि. के रिक्त पद रखना न्यायोचित नहीं होने के कारण उपरोक्त आधार पर हैडकानि, के रिक्त पदों की गणना की गई। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया।

प्रस्तुत अपील 13 बटालियन आरएसी (जेल सुरक्षा) जयपुर में कांस्टेबल से हेटकांस्टेबल के पद पर वर्ष 2020–21 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु जारी सूचना के संबंध में प्रस्तुत कर कथन किया है कि पदोन्नति हेतु निर्धारित 13 पदों में सामान्य के 11 एवं अनुसूचित जाति के 2 पद निर्धारित किए एवं अनुसूचित जनजाति हेतु कोई पद निर्धारित नहीं किया है। 13 बटालियन आरएसी (जेल सुरक्षा) का गठन 2012–13 में हुआ एवं बटालियन के सफल परिचालक हेतु 23.02.2015 को जारी अनुदेश के हेडकांस्टेबल के 157 पद स्वीकृत किए थे। बटालियन गठन के बाद पहली बार 2019–20 में कांस्टेबल से हेडकांस्टेबल की पदोन्नति की गई, उसमें भी एसटी हेतु कोई पद निर्धारित नहीं किया। विभाग द्वारा अन्य बटालियनों से 13वी बटालियन में स्थानान्तरित या प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हेडकांस्टेबल को नियम विरूद्ध

इस 13 वी बटालियन का नियमित कर्मचारी मान लिया जबकि परिचालन अनुदेश 23.02.2015 (अनुलग्नक–2) में जारी स्थानान्तरण/पदस्थापन नीति के अनुसार ऐसे कर्मचारी का लियन उनकी मूल बटालियन में होगा। इनकी नियुक्ति 13वी बटालियन में 3 वर्ष के लिए होगी, जिसे सक्षम स्तर से 2 वर्ष के लिए बढाये जाने का प्रावधान है। संशोधित स्थानान्तरण नीति 17.03.2020 (अनुलग्नक–5) के अनुसार 13वी बटालियन आएसी जेल सुरक्षा में स्थानान्तरण पर आए आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी का लियन उनकी मूल बटालियन में रखे जाने का प्रावधान है। अतः अपीलार्थी का कथन है कि उन्हे 13वी बटालियन में नियमित मानना विधि विरूद्ध है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं उभयपक्ष के तर्कों से स्पष्ट है कि नव गठित 13 बटालियन आरएसी (जेल सुरक्षा) के गठन वर्ष 2012–13 में होने पर इसके सुचारू संचालन हेतु अन्य बटालियन से कार्मिक स्थानान्तरण किए गए एवं कांस्टेबल के पद पर सीधी भर्ती की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार नवगठित बटालियन की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के के संचालन के लिए अन्य बटालियनों से 13 बटालियन आरएसी (जेल सुरक्षा) में हेड कांस्टेबल का स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में मूल बटालियन से स्थानान्तरण/पदस्थापन अन्य बटालियन में किया जाकर लियन मूल बटालियन में रखे जाने का कोई प्रावधान नहीं होने से अन्य बटालियन से स्थानान्तरण/पदस्थापन पर आए हेडकांस्टेबल को 13 बटालियन आरएसी (जेल सुरक्षा) में नियमित मानते हुए शेष रिक्त पदों हेतु 2019–20 में प्रथम बार पदोन्नति परीक्षा का आयोजन किया। चूंकि एसटी संवर्ग के पूर्व से कार्यरत हेडकांस्टेबल निर्धारित आरक्षण से ज्यादा कार्यरत होने से वर्ष 2019–20 एवं 2021–21 में एसटी संवर्ग हेतु पदोन्नति के पद नहीं रखे गये है। 13वी बटालियन में अन्य बटालियन से कार्यरत हेडकांस्टेबल एक वर्ष से ज्यादा अवधि से कार्यरत होने से उनकी मूल बटालियन के पदों को पदोन्नति से भरा जाने से वहां पर पद रिक्त नहीं रहे है।

प्रश्न यह है कि क्या अन्य बटालियनों से 13 बटालियन आरएसी (जेल सुरक्षा) में स्थानान्तरित/कार्यरत हेडकांस्टेबल को 13वी बटालियन में नियमित माना जाना नियम संगत है? 13वी बटालियन आरएसी का नव गठन 2012–13 में किया गया एंव इस बटालियन में गठन के पश्चात कांस्टेबल के पद पर सीधी भर्ती की जाकर नियुक्ति दी गई। हेडकांस्टेबल का पद कांस्टेबल से 100 प्रतिशत पदोन्नति का पद है एवं नवगठित 13वी बटालियन में तत्समय कोई कांस्टेबल पदोन्नति हेतु पात्र नहीं होने एवं बटालियन का विधिवत सचांलन हेतु हेडकांस्टेबल अन्य बटालियन से स्थानान्तरण किए गए जो प्रशासनिक दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक था। यह हेडकांस्टेबल 13वी बटालियन में एक वर्ष से ज्यादा अवधि तक पदस्थापित रहने से इनकी मूल बटालियन में हेडकांस्टेबल के रिक्त पदों पर पदोन्नति करने से वहां

हेडकांस्टेबल के पद नहीं रहे। इस आधार पर प्रत्यर्थी विभाग ने अन्य बटालियन से 13 बटालियन आरएसी (जेल सुरक्षा) में कार्यरत हेडकांस्टेबल को इस बटालियन का नियमित कर्मचारी मानकर शेष रिक्त पदों पर इस 13वीं बटालियन में नियुक्त कांस्टेबल के पदोन्नति हेतु पात्र होने पर प्रथम बार 2019–20 में पदोन्नति दी गई एवं अब दूसरी बार 2020–21 में पदोन्नति की प्रक्रिया की जा रही है। यह एक असाधारण स्थिति है, जो किसी भी नवीन बटालियन के गठन की दशा में उत्पन्न होती है। जब स्वयं नवगठित बटालियन में पदोन्नति हेतु पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं थे तब नवीन बटालियन के सुचारू संचालन हेतु अन्य बटालियन से हेड कांस्टेबल को स्थानान्तरण करना एवं उन्हें 13वी बटालियन में नियमित करना प्रशासनिक जरूरत होती है। तत्समय अपीलार्थीगण हेडकांस्टेबल के पद पर पदोन्नति की पात्रता नहीं रखते थे। अब 13वी बटालियन आरएसी (जेल सुरक्षा) में उपलब्ध रिक्त हेडकांस्टेबल के पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया में 13वी बटालियन में भर्ती हुए कांस्टेबल को ही शामिल किया जा रहा है। अतः हमारे मत में नवीन बटालियन के गठन के पश्चात उसके विधिवत सचांलन के दृष्टिगत प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सम्पादित कार्यवाही में कोई दुर्भावना या नियम विरूद्धता प्रकट नही ंहो रही है।

जहां तक अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति हेतु पद निर्धारित नहीं करने का प्रश्न है। उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि 13वी बटालियन में अनुसूचित जनजाति सवंर्ग के हेडकांस्टेबल पहले से ही निर्धारण आरक्षण से ज्यादा कार्यरत है एवं अधिक कार्यरत एसटी सवंर्ग के हेडकांस्टेबल को अनारक्षित रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजन कर रिक्त पदों का निर्धारण किया गया है। अतः अनुसूचित जनजाति संवर्ग हेतु पदोन्नति हेतु रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने से रिक्त पदों का निर्धारण नहीं किया गया है।

अतः उपुर्यक्त विवेचन एवं तथ्यों के दृष्टिगत अपील अपीलार्थीगण सारहीन एवं बलहीन होने के आधार पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य